# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांकःएफ.1(   )संस्था/मदसविवि/2022/ दिनांक

## कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(   )संस्था/मदसविवि/2014/19337 दिनांक 06–09–2014 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.1(   )संस्था/मदसविवि/2018/24562 दिनांक 18–06–2018 के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत श्री महेश कुमार छाबड़ा पुत्र श्री गोरधनदास छाबड़ा सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), 17, आदिनाथ कॉलोनी, राम नगर रोड़, अजमेर की सेवाएं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अभियन्ता कार्यालय में, सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार संविदा पुनर्नियुक्ति की निम्नांकित शर्तों पर सहायक अभियन्ता (प्रतिनियुक्ति) के रिक्त पद के विरूद्ध लिये जाने हेतु, उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा सहायक अभियन्ता (प्रतिनियुक्ति) के पद पर नियमित सहायक अभियन्ता उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है, यह नियुक्ति राज्य सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन रहेगी।

1. श्री महेश कुमार छाबड़ा सहायक अभियन्ता से संबंधित कार्य कुलसचिव के निर्देशानुसार सम्पादित करेंगे।
2. सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि परिपत्र क्रमांक एफ.1(   )संस्था/मदसविवि/2018/24562 दिनांक 18–06–2018 के परिशिष्ठ–'क' के अनुसार वास्तविक उपस्थिति के आधार पर रू. 21900/– प्रतिमाह देय होगी।
3. संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (संलग्न परिशिष्ठ)
4. संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे विश्वविद्यालय सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा। अवकाश रिकार्ड का संधारण विभाग स्तर पर किया जायेगा।
5. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
6. संविदा, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।
7. संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।
8. संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवदेनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

श्री महेश कुमार छाबड़ा अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट के साथ नियमानुसार करारनामा एवं विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

**संलग्नकः– परिशिष्ठ।**

1.1.2022

कुलसचिव

क्रमांकःएफ.1(   )संस्था/मदसविवि/2022/98 – 115 दिनांक 01/01/2022

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदसविवि, अजमेर।
2. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, मदसविवि, अजमेर।
3. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, मदसविवि, अजमेर।
5. निजी सचिव–कुलपति, मदसविवि, अजमेर।
6. निजी सहायक–कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।
7. अभियन्ता कार्यालय, मदसविवि, अजमेर।
8. श्री महेश कुमार छाबड़ा पुत्र श्री गोरधनदास छाबड़ा सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), 17, आदिनाथ कॉलोनी, राम नगर रोड़, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली संस्थापन अनुभाग, मदसविवि, अजमेर।

सहायक कुलसचिव (संस्थापन)